

प्रेषक,

के0के0 सिन्हा,
प्रमुख सचिव एवं राहत आयुक्त,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
मुजफ्फनगर/ उन्नाव/ जालौन/ हरदोई/ अलीगढ़/ कन्नौज/ सहारनपुर
रायबरेली/ बरेली/ ज्योतिबाफूले नगर/ काशीरामनगर।

Po-1
Feed back
19/01/11

राज्य जीहरी
वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी
राहत आयुक्त संगठन, उ०प्र० शासन

राजस्व अनुभाग-10

लखनऊ : दिनांक : 19 जनवरी, 2011

विषय : वित्तीय वर्ष 2010-11 में कृषि निवेश/गृह अनुदान/नाविकों के भुगतान मद में धनावंटन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक संलग्नक में उल्लिखित आपके पत्रों के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2010-11 में बाढ़ एवं अन्य दैवी आपदा से प्रभावित व्यक्तियों को राहत सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से कृषि निवेश/गृह अनुदान/नाविकों का भुगतान आदि हेतु निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन कुल धनराशि रु0 1744.89826 (रूपये सत्रह करोड़ चवालिस लाख नवासी हजार आठ सौ छब्बीस मात्र) संलग्न विवरण के अनुसार आपके निर्वर्तन पर रखने की श्री राज्यपाल महोदय सहस्र स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2. उक्त स्वीकृति के फलस्वरूप होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2010-11 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-51 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक "2245-प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत-आयोजनेत्तर-05-आपदा राहत निधि-800-अन्य व्यय-03-आपदा राहत निधि से व्यय-42-अन्य व्यय" के नामे डाला जायेगा।

3. बाढ़ से तात्कालिक प्रकृति की अपरिहार्य परिस्थितियों वाले अर्ह एवं अनुमन्य श्रेणी की कृषि निवेश/गृह अनुदान मद में धनराशि शासनादेश संख्या--3253/1-10-2008-12(73)/2008, दिनांक 22 सितम्बर, 2010 में निर्धारित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन ही व्यय किया जायेगा। इस धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका एवं अन्य सुसंगत नियमों/शासकीय निर्देशों के अधीन ही किया जायेगा। इस धनराशि का उपयोग अन्य किसी भी विभागीय कार्य हेतु कदापि न किया जाय। अग्रेतर यह सुनिश्चित किया जाय कि आपदा राहत निधि की धनराशि का व्यय केवल दैवी आपदाओं--अग्निकाण्ड, भूस्खलन, बाढ़, ओलावृष्टि, कीट आक्रमण तथा सुनामी से प्रभावित व्यक्तियों को राहत सहायता प्रदान करने के निमित्त व्यय की जाय। सामान्य

दुर्घटनाओं—सड़क दुर्घटना, रेल दुर्घटना, दंगा फसाद, विद्युत आदि के कारण घटनाओं के लिए इस धनराशि का उपयोग नहीं किया जायेगा।

4. उक्त धनराशि का व्यय प्रस्तर-3 व 4 में संदर्भित शासनादेश दिनांक 31 जुलाई, 2007 एवं शासनादेश दिनांक 22 सितम्बर, 2010 के साथ संलग्न भारत सरकार की गाइड लाइन्स में निर्धारित एवं अर्ह मानकों मदों के अनुसार ही किया जायेगा। यदि एक व्यक्ति को कई मदों में राहत अनुमन्य है, यतो सबको मिलाकर एक ही चेक के माध्यम से सहायता प्रदान की जाय। शासनादेश संख्या-4464/1-10-2008-14(45)/2003, दिनांक 24 सितम्बर, 2008 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए दैवी आपदा की सभी मदों में दिये जाने वाले रू0 2000/- तक की धनराशि का वितरण वियरर चेक के माध्यम से तथा रू0 2000/- से अधिक की धनराशि का वितरण एकाउन्ट पेयी चेक के माध्यम से ही किया जाय।

5. वर्ष 2010-11 में कृषि निवेश एवं गृह अनुदान मद में वितरण 30 दिन व अधिकतम 45 दिन में कर लिया जाय तथा नियमानुसार उपभोग प्रमाण-पत्र शासन को उपलब्ध कराया जाय। आपदा राहत निधि की धनराशि का व्यय सक्षम अधिकारी द्वारा वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त करने के उपरान्त नियमानुसार प्रक्रिया का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए निर्धारित अवधि के अन्दर किया जायेगा।

6. उक्त स्वीकृत धनराशि केवल इस वित्तीय वर्ष में दैवी आपदाओं से प्रभावित व्यक्तियों को राहत पहुँचाने के निमित्त व्यय की जायेगी। इससे पूर्व वर्षों के दायित्वों का निर्वहन नहीं किया जायेगा।

7. राहत की धनराशि की प्राप्ति एवं व्यक्ति की पहचान के प्रमाण के रूप में रसीद पर स्थानीय लेखपाल एवं ग्राम प्रधान के हस्ताक्षर प्राप्त कर इसे अभिलेख में रखा जाये। वितरित सहायता की सूची ग्राम सभा के नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित की जाय और ग्राम सभा की अगली खुली बैठक में इसे पढ़कर सुनाया भी जाय।

8. कतिपय प्रकरणों में यह भी देखने में आया है कि आवंटित धनराशि एक मुश्त किसी सरकारी विभाग या स्थानीय प्राधिकारी को हस्तगत कराकर अपने कर्तव्य की इतिश्री कर ली जाती है, यह स्थिति उचित नहीं है। निधि से प्रदत्त धनराशि आपदा राहत हेतु प्रदान की जाती है। अतः आपदा के अनुसार राहत की आवश्यकता का निर्धारण करना, तदनुसार धन उपलब्ध कराना तथा इसका सदुपयोग सुनिश्चित कराना, व्यय का पूर्ण विवरण शासन को निर्धारित तिथि तक उपलब्ध कराना जिलाधिकारी का कर्तव्य है। अतः आपदा राहत निधि से प्रदत्त धनराशि का प्रत्येक स्तर पर पूर्ण सजगता के साथ समुचित प्रयोग सुनिश्चित किया जाय।

9. आपदा राहत निधि से स्वीकृत धनराशि का जिला स्तर पर समुचित लेखा-जोखा रखा जाय तथा माह के अन्त में लेख रजिस्टर जिलाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित किया जाय और मदवार मासिक व्यय विवरण शासनादेश संख्या-1693/1-11-2005-रा0-11, दिनांक 20 जून, 2005 द्वारा प्रसारित प्रारूप पर अगले माह की 05 तारीख तक उपलब्ध कराने के साथ ही दैनिक रिपोर्ट भी राहत आयुक्त की वेबसाइट <http://rahat.up.nic.in> पर भी फीड

करवाना सुनिश्चित किया जाय। शासन द्वारा आवंटित धनराशि में से यदि बचते संभावित हों तो उन्हें दिनोंक 31 मार्च, 2011 से पूर्व शासन को समर्पित कर दिया जाय।

10. उक्त धनराशि का उपभोग प्रमाण-पत्र वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-5 भाग-1 के प्रस्तर-369 एच के अधीन निर्धारित प्रारूप संख्या-42 आई में शासन को तुरन्त उपलब्ध कराया जाय।

11. व्यय की धनराशि का महालेखाकार कार्यालय में सही मदों में पुस्तांकन कराया जाय और प्रत्येक माह में महालेखाकर कार्यालय से आंकड़े समाधानित एवं सत्यापित कराकर शासन को सूचित किया जाय।

संलग्नक-यथोपरि।

भवदीय,
K. L. Singh
(के०के० सिन्हा)

प्रमुख सचिव एवं राहत आयुक्त।

संख्या- 62(1)/1-10-2011-14(63/2010, तददिनोंक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1-महालेखाकार-प्रथम/आडिट प्रथम, उ०प्र० इलाहाबाद।

2-सम्बन्धित जनपदों के मण्डलायुक्त।

3-आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उ०प्र०, लखनऊ।

4-वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, एन०आई०सी०, योजना भवन लखनऊ को इस अनुरोध के साथ कि कृपया इसे राहत की वेबसाइट <http://rahat.up.nic.in> पर अपलोड कराना सुनिश्चित करे।

5-वरिष्ठ वित्त एवं लेखा अधिकारी, कार्यालय राहत आयुक्त, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

6- मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी सम्बन्धित जनपद।

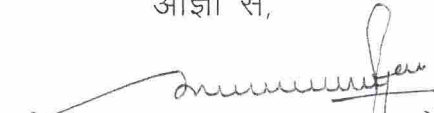
7-वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-5

8-समीक्षा अधिकारी (लेखा) राजस्व अनुभा-10/राजस्व अनुभाग-6/11 राहत वेबसाइट के उपयोगार्थ।

9-निजी सचिव, प्रमुख सचिव राजस्व एवं राहत आयुक्त, उ०प्र० शासन।

10-गार्ड फाइल।

आज्ञा से,


(आनन्द प्रकाश उपाध्याय)
संयुक्त सचिव।

शासनादेश सं०- 62/1-10-2011-14(63)/2010, दिनांक 19 जनवरी, 2011 का संलग्नक

क्र० सं०	जनपद का नाम	मद	धनराशि (लाख रु० में)	जिलाधिकारी का संदर्भ/पत्र
1	मुजफ्फरनगर	1. कृषि निवेश अनुदान	33.18	743/तेरह-मिस/06-09/बाढ़/धनावंतन दिनांक 21 दिसम्बर, 2010
2	उन्नाव	1. कृषि निवेश अनुदान	718.6468	609/सी०आर०ए०-5/कृ०नि० धनावंतन (2010-11) दिनांक 29 नवम्बर, 2010
		2. नावों का किराया	10.00	658/सी०आर०ए०-5/नाव किराये भुगतान दिनांक 31 दिसम्बर, 2010
3	जालौन	1. कृषि निवेश अनुदान	252.37189	60/3-सी०आर०ए० दिनांक 29 दिसम्बर, 2010
4	हरदोई	1. कृषि निवेश अनुदान	1.51804	1651/सी०आर०ए० दै०आ०/10 दिनांक 01 नवम्बर, 2010
5	अलीगढ़	1. कृषि निवेश अनुदान	176.22	690/दै०आ०-2010-11 दिनांक 15 नवम्बर, 2010
6	कन्नौज	1. कृषि निवेश अनुदान	85.71936	2606/सी०आर०ए०-बाढ़-कृषि निवेश/2010 दिनांक 31 दिसम्बर, 2010
7	सहारनपुर	1. कृषि निवेश अनुदान	195.0202	1218/सी०आर०ए०(दै०आ०) दिनांक 20 नवम्बर, 2010
8	रायबरेली	1. कृषि निवेश अनुदान	28.51768	217/सी०आर०ए०-दै०आ०/10 दिनांक 28 नवम्बर, 2010
9	बरेली	1. कृषि निवेश अनुदान	132.40107	295(1)/मु०रा०ले०-दै०आ०(2010-11) दिनांक 13 जनवरी, 2011
10	ज्योतिबा फूले नगर	1. कृषि निवेश अनुदान	81.30322	959/दै०आ०सह०/2010 दिनांक 07 जनवरी, 2011
11	काशीरामनगर	1. कृषि निवेश अनुदान	30.00	65/सी०आर०ए०-10बाढ़ दिनांक 10 दिसम्बर, 2010
		कुल योग	1744.89826	

(रूपये सत्रह करोड़ चवालिस लाख नवासी हजार आठ सौ छब्बीस मात्र)


(आनन्द प्रकाश उपाध्याय)
संयुक्त सचिव।